

# कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कृषि वानिकी चेतना केन्द्र, अनूपपहर रोड, छेरत, अलीगढ़, पिन-202001 \* ई-मेल: cfaligarh@gmail.com

पत्रांक 2836/14-1, दिनांक: अलीगढ़: मार्च 29, 2016

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,  
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय:-

इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि० द्वारा टूण्डला-एटा मार्ग (एस०एच०-31) कि०मी० 40.516 दायी पटरी पर स्थित ग्राम नावली के खसरा सं०-298स तहसील व जिला-एटा में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के निर्माण हेतु 0.0773 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की बिना वृक्ष पातन के अनुमति के संबंध में।

महोदय,

इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि० द्वारा टूण्डला-एटा मार्ग (एस०एच०-31) कि०मी० 40.516 दायी पटरी पर स्थित ग्राम नावली के खसरा सं०-298स तहसील व जिला-एटा में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के निर्माण हेतु 0.0773 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की बिना वृक्ष पातन के अनुमति हेतु प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा के पत्रांक 1782/14-1, दिनांक 27.02.2016 द्वारा प्रेषित किया गया है।

अतः उक्त प्रस्ताव को वृत्त स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही करते हुए वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर संस्तुति सहित 3 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(ललित कुमार वर्मा)

वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14-1, समदिनांकित।

- 1- प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, एटा को पत्रांक 1782/14-1, दिनांक 27.02.2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- प्रतिलिपि- मैनेजर (रिटेल सेल्स) इण्डियन आयल कार्पोरेशन लि० सेल्स एरिया एटा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(ललित कुमार वर्मा)

वन संरक्षक,  
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

**भाग-3**  
**(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)**

14.	<p>स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई।</p> <p>क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।</p>	<p>इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि० द्वारा टूण्डला-एटा मार्ग (एस०एच०-31) कि०मी० 40.516 दायीं पटरी पर स्थित ग्राम नावली के खसरा सं०-298स तहसील व जिला-एटा में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट (पेट्रोल पम्प) के निर्माण हेतु 0.0773 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की बिना वृक्ष पातन के अनुमति हेतु प्रस्ताव।</p> <p style="text-align: center;">नहीं</p>
15.	<p>क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।</p>	<p style="text-align: center;">हाँ</p>
16.	<p>प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।</p>	<p>प्रस्ताव जनहित में है। अतः स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।</p>

तिथि:- 29.03.2016

स्थान:-अलीगढ़।

  
 (ललित कुमार वर्मा)  
 वन संरक्षक,  
 अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।